न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारीः— महावीर प्रसाद नायक (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या : 279/2011 राजस्व वाद

अनवान

1. सद्दीक मोहम्मद पिता अमीर खां उम्र वयस्क नि0 बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. अजीज खां पिता अमीर खां उम्र वयस्क नि0 बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. शरीफ खां पिता अमीर खां उम्र वयस्क नि0 बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. नवाब खां पिता अमीर खां उम्र वयस्क नि0 बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. फारूख खां पिता अमीर खां उम्र वयस्क नि0 बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. हलीमा पत्नि अमीर खां उम्र वयस्क नि0 बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

————————वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पिता छोगालाल भांड उम्र वयस्क निवासी आमली (बरडोद) थाना हमीरगढ तहसील व जिला भीलवाडा राज.
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेडा, जिला भीलवाडा

————————प्रतिवादी गण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—92क—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत राजस्व रेकार्ड ईन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित —
1. वादीगण समस्त
2. प्रतिवादी संख्या 01

निर्णय

दिनांक — 25.03.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम बनेडा में वादीगण के पिता स्वर्गीय अमीर खां पिता अनार खां ने प्रतिवादी संख्या 01 के पिता श्री छोगालाल पिता बंशीलाल भाण्ड निवासी बनेडा तहसील बनेडा से दिनांक 04.05.1959 को उनकी खातेदारी आराजीयात नम्बरान 217/1, 218/2, 216/3, 217/2, 225/1, 226/1, 225/2, 226/2, 225/3 कुल किता 9 कुल रकबा 04—09 बीघा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, तथा उपरोक्त आराजीयात का वादीगण अपने पिता के समय से ही उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इसके पश्चात भू—प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही के दौरान विवादित साबिक आराजीयात के नई जरीब अनुसार नवीन नम्बरान कायम हुए, जो इस प्रकार है आराजी संख्या 4495, 4500, 4501, 4502, 5643/4500 कुल किता 05 कुल रकबा 03—15 बीघा। विवादित आराजीयात के सद्भाविक क्रेता वादीगण के पिता श्री अमीर खां पिता अनार खां एंव बैचानकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 के पिता श्री छोगालाल पिता बंशीलाल भाण्ड निवासी बनेडा दोनो का देहान्त हो चुका है, किन्तु इस रजिस्टर्ड खरीद/मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद के लिए वादीगण के पिता ने देहान्त होने से पूर्व कई मर्तबा सम्बन्धित कार्यालय में जरिये प्रार्थनापत्र बाद आवश्यक पूर्ति के आवेदन किया, परन्तु फिर भी राजस्व कर्मचारीयों

उपखण्ड अधिकारी

गलत तरीके से मन मक्सूद तौर पर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी विधिक अधिकार के वादीगण संख्या 01 के पिता को विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अंकन नही किया, जो गलत होकर विधि विरूद्ध है। वर्तमान में भी राजस्व अभिलेखों में वादग्रस्त आराजीयात श्री छोगालाल पिता बंशीलाल भाण्ड निवासी बनेडा के नाम दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। राजस्व कर्मचारीयों कि गलती एंव लापरवाही के कारण यह त्रूटी अनवरत रूप से जारी है। जिसे राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्ती किये जाने की ईस्तदुआ की गई।

प्रकरण दिनांक 09.12.2011 को बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन/नोटीसेज के तलब किया गया। विपक्षी कम 02 जो कि वादपत्र में राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेडा बतौर पक्षकार संयोजित है। जिनकी और से जवाबदावा/रिपोर्ट प्राप्त होकर रेकार्ड पर उपलब्ध है। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से एडवोकेट श्री अरूण चन्द्र देराश्री द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जिसे रिकार्ड पर लिया गया। वादी पक्ष द्वारा गवाह के बतौर सद्दीक मोहम्मद पिता अमीर खां का साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये जो शामिल मिशल किया गया। वादपत्र में वादीगण पक्ष द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजात पर लाल स्याही से प्रदर्श का अंकन किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में बहस के चरण पर लिया गया। इसी बीच उभयपक्ष पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर आज दिनांक 25.03.2019 को एक राजीनामा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो जाने का कथन रखते हुए राजीनामा तस्दीक करा, इस मौजूदा वादपत्र स्वीकार किये जाने की ईस्तदुआ की गई।

अन्ततः वादपत्र के संदर्भ में उभयपक्षों के अनुरोध में सारतः यह तर्क है कि ग्राम बनेडा में वादीगण के पिता स्वर्गीय अमीर खां पिता अनार खां ने प्रतिवादी संख्या 01 के पिता श्री छोगालाल पिता बंशीलाल भाण्ड निवासी बनेडा तहसील बनेडा से दिनांक 04.05.1959 को उनकी खातेदारी आराजीयात नम्बरान 217/1, 218/2, 216/3, 217/2, 225/1, 226/1, 225/2, 226/2, 225/3 कुल किता 9 कुल रकबा 04–09 बीघा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, इसके पश्चात भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही के दौरान विवादित साबिक आराजीयात के नई जरीब अनुसार नवीन नम्बरान आराजी संख्या 4495, 4500, 4501, 4502, 5643/4500 कुल किता 05 कुल रकबा 03–15 बीघा कायम हुए, वर्तमान में भी राजस्व अभिलेखों में वादग्रस्त आराजीयात श्री छोगालाल पिता बंशीलाल भाण्ड निवासी बनेडा के नाम दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। राजस्व कर्मचारीयों कि गलती एंव लापरवाही के कारण यह त्रूटी अनवरत रूप से जारी है। जिसे राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्ती किये जाने की ईस्तदुआ की गई।

नवीन संदर्भ मे तहसीलदार बनेड़ा द्वारा प्रकरण मे भू0अ0नि0 बनेडा की रिपोर्ट से यह स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि विवादित आराजीयात राजस्व रेकार्ड अनुसार खातेदार छोगालाल पिता बंशीलाल

उपखण्ड अधिकारी

[illegible] के नाम पर दर्ज रेकार्ड है किन्तु उक्त रकबे पर सद्भाविक क्रेतागण यानि वादीगण का पूर्ण रूप से कब्जा व हक अधिपत्य है। जो कि विगत 50 वर्षो से चला आ रहा है।

इस प्रस्नगत प्रकरण में मुख्य मुद्दा यह है कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति को कृषि भुमि का अन्तरण/बैचान कर सकेगा ? उभयपक्षों की और से प्रस्तुत राजीनामें के साथ संलग्न नजीर पर उनके द्वारा न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करा यह तर्क दिया गया कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम 1955 की धारा 42 में दिनांक 02.05.1964 से इस प्रकार का अन्तरण/बैचान प्रतिबन्धित है। किन्तु यहां तथाकथित बैचान धारा 42 में उल्लेखित प्रतिबन्ध प्रभावशील दिनांक 02.05.1964 से पूर्व का होकर दिनांक 04.05.1959 का है। यानि यहां स्पष्ट तौर पर जाहिर है रजिस्टर्ड बैचान दिनांकित 04.05.1959 पूर्ण रूप से प्रभावशील रहेगा , तथा राजस्व अभिलेखों इस बैचान का अमल दरामद किया जाना उचित एंव न्याय पूर्ण है।

अतः इस प्रकार प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादीगणो द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की तायद मे प्रस्तुत शपथपत्र तथा शहादत्त वादीगण में प्रस्तुत शपथपत्र, वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं प्रर्दश कराये गये दस्तावेज के अध्ययन से तथा प्रकरण मे तहसीलदार बनेड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अध्ययन/परिक्षण करने, उभयपक्षो की ओर से प्रस्तुत राजीनामें पर मनन करने के पश्चात वादीगणो का वादपत्र ब–हक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 के विरूद्ध राजीनामें स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

–::आदेश::–

वाद–पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 सहमती से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बनेडा पटवार हल्का क्षैत्र बनेडा स्थित आराजी संख्या 4495, 4500, 4501, 4502, 5643/4500 कुल किता 05 कुल रकबा 03–15 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध अंकन प्रतिवादी संख्या 01 के पिता श्री छोगालाल पिता बंशीलाल भाण्ड निवासी बनेडा का नाम बतौर खातेदार काश्तकार विलोपित करते हुए, उसके स्थान पर वादीगण का हक आधिपत्य निर्धारित कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है। तथा साथ ही प्रतिवादी कम 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से की आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। तदनुसार पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को आदेशित किया जाता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)
सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

न्यायालय/कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

संख्या–01 के पिता की खातेदारी की आराजीयात जिसके आराजी[illegible]